IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नगरीय निकायों में महिला जन प्रतिनिधियों में टोंक जिले की सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान

शुभा लढ्ढा
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा

शोध सार

"बसुन्धरा–तले भारत–रमणी नुहें हीन नुहे दीन,

अमर कीरति कोटि युगे के भें जगन्तु नोहिब लीन।"

–कुंतला कुमारी साबत 'उत्कल भारती'

अर्थात, भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में न तो हीन है, न दीन है। सम्पूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों–युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी यानी सदैव रहेगी।[1]

प्राचीन भारतीय संस्कृति की अवधारणा पुरूषों एवं महिलाओं की समानता की समर्थक है जिसका आधार अर्द्धनारीश्वर की संकल्पना है। यह संकल्पना विकास, समृद्धि, सहयोग आदि पर आधारित है जो समान भागीदारी एवं सम्मान की बात करती है। यह तथ्य सर्वविदित है कि राजनीति का प्रमुख उद्देश्य देश का सर्वांगीण विकास है और यह तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समाज के प्रत्येक वर्ग की इसमें बराबर की भागीदारी हो। साथ ही इसका प्रतिफल समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के बराबर मिले। अतः लिंग आधारित भेदभाव को मिटाकर तथा पुरूष और महिला को बराबरी का दर्जा देकर ही देश का विकास संभव है।

परिचय

भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए प्राचीन काल से ही महिलाओं की स्थिति को जानना जरुरी है क्योंकि यह वही देश है जहाँ महिलाओं को माता के रूप में पूजा जाता है और एक पत्नी के रूप में इन्हें 'अर्धांगिनी' के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय सभ्यता के प्रारम्भ से जब पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था थी तब भी महिलाओं का परिवार और समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। जब भारत के इतिहास के विभिन्न कालों का विश्लेषण किया जाता है तब यह पता चलता है कि वैदिक काल के समान महिलाओं की सर्वोच्च स्थिति कभी और नहीं रही है जो कि भारत **2 भारतीय संविधान और महिलाएँ**

सन् 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों और गैर–भारतीय नागरिकों को कुछ मूलभूत मानवाधिकार जिन्हें मूल अधिकार कहा गया है, प्रदान किये हैं। भारतीय संविधान महिलाओं को ना केवल समानता का अधिकार प्रदान करता है बल्कि राज्य को महिलाओं द्वारा सामना किये जा रहे सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक नुकसानों को समाप्त करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक विभेदीकरण के उपाय करने के लिए सशक्त भी करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान निम्नलिखित प्रावधान करता है[20]–

- अनुच्छेद–14 विधि के समक्ष समानता– राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- अनुच्छेद–15 धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध–

1. राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

2. कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर– (क) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या (ख) पूर्णतः या भागतः राज्य–निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागमों के स्थानों के उपयोग, के सम्बन्ध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवृत नहीं करेगी।

- अनुच्छेद–16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता–

1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।

2. राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा।

- अनुच्छेद–39 (क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।
- अनुच्छेद–39 (घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।
- अनुच्छेद–39 (ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो।
- अनुच्छेद–39क समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रहा जाये, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।
- अनुच्छेद–42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध– राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा।
- अनुच्छेद–46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि– राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।
- अनुच्छेद–47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्त्तव्य– राज्य, अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधर को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के, औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।

- अनुच्छेद–51 (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

- **शोध का महत्व (Importance of Research)**

- 1. प्रस्तुत शोध स्थानीय निकायों में महिलाओं की वर्तमान भागीदारी, राजनीति में महिलाओं की सक्रिय या निष्क्रिय भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारणों पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस शोध में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रयासों का विवरण दिया गया है।
- 2. प्रस्तुत शोध नगरीय निकायों में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों का गहन विश्लेषण कर भागीदारी को बढ़ाने के लिए इन कारकों की सकारात्मक भूमिका सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करता है। शोध में प्राप्त निष्कर्ष नीति निर्माताओं हेतु महिला भागीदारी बढ़ाने संबंधित नीतियों के निर्धारण में एक आधारभूत दस्तावेज साबित होगा।
- 3. शोध का निष्कर्ष स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की वर्तमान स्थिति और इसमें सुधार हेतु स्पष्ट तस्वीर प्रदान करेगा।
- 4. अंत में प्रस्तुत अनुसंधान छात्रों, स्थानीय सरकार के प्रशासकों, महिलाओं और पुरुषों के लिए ज्ञान का समृद्ध संसाधन प्रदान करेगा तथा अनुगामी शोधार्थियों के मार्गदर्शन में सहायक होगा।
- 5. प्रस्तुत शोध में नगरीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि का सम्बन्ध ज्ञात करने का प्रयास किया गया है, जो निकट भविष्य में इनकी भागीदारी बढ़ाने में सहायक होगा।

इसके लिए सर्वप्रथम टोंक जिले के नगरीय निकायों के महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों की सूची प्राप्त की गई है तथा प्रत्येक नगरीय निकाय से हर श्रेणी की महिलाओं की आरक्षित सीटों में से एक तिहाई निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों का चयन देव निदर्शन विधि द्वारा किया गया है। निर्देशों की संख्या इस प्रकार है–

सारणी 1 टोंक की नगरीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान

क्र. सं.	नगरीय निकाय	कुल वार्डों की संख्या	महिला आरक्षित वार्डों की संख्या				
			SC	ST	OBC	GEN	Total
1	नगर परिषद्, टोंक	60	3	0	4	12	19
2	नगरपलिका मण्डल, देवली	25	2	0	2	4	8
3	नगरपलिका मण्डल, निवाई	35	2	0	2	7	11
4	नगरपलिका मण्डल, टोड़ारायसिंह	25	1	0	2	5	8
5	नगरपलिका मण्डल, मालपुरा	35	2	0	2	7	11
6	नगरपलिका मण्डल, उनियारा	20	1	0	1	4	6
	योग	**200**	**11**	**0**	**13**	**39**	**63**

इस प्रकार सभी श्रेणी की महिलाओं की कुल आरक्षित सीटें 63 हैं इनमें से एक तिहाई सदस्य अर्थात् 21 सदस्यों का चयन किया गया है जिनका वर्गीकरण निम्नानुसार है–

राजस्थान की नगरपालिकाओं में महिला प्रतिनिधि

ऐतिहासिक रूप से लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व के स्वरुप में महिलाओं को हमेशा से बाहर ही रखा गया है। प्राचीन यूनान जिसे लोकतंत्र का पालना माना जाता है और जहाँ लोकतंत्र का प्रथम अनुभव किया गया, वहाँ अरस्तु जैसे राजनीतिक विचारकों ने महिलाओं को नागरिकों की श्रेणी से भी बाहर रखा था, ऐसी स्थिति में उन्हें सख्ती से लोकतंत्र से भी बाहर रखा गया था। यहाँ तक कि प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए विश्व इतिहास में जितनी भी क्रांतियाँ, यथा– इंग्लैंड की सन् 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकी क्रांति (1775–1783) तथा फ्रांसिसी क्रांति (1789), हुई हैं उनमें भी शायद ही महिलाओं को राष्ट्र की सरकारों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सोच रही होगी।

आज जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधित्व सैधांतिक रूप से एक आदर्श के रूप में सम्मिलित है परन्तु दुर्भाग्य यह है कि इस सिद्धांत को व्यवहार में पर्याप्त सम्मान नहीं मिल पाया है। उदहारण के रूप में **संयुक्त राष्ट्र की इंटर–पार्लियामेंट्री यूनियन** की **'ग्लोबल एण्ड रीजनल एवरेज ऑफ वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट'** नामक रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि 01 अक्टूबर 2021 को विश्व की कुल संसदों के निचले सदन में महिलाओं की भागीदारी 26%, उच्च सदन में 25.1% तथा कुल भागीदारी मात्र 25.8% ही है वहीं संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व को विभाजित विभिन्न क्षेत्रों में से अमेरिका क्षेत्र में सर्वाधिक 32.9%, मध्य–पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका में सबसे कम 16.5% तथा एशिया क्षेत्र में 20.5% महिलाओं की भागीदारी है।

इसी संस्था की **'राष्ट्रीय संसदों में महिला पर मासिक रेंकिंग'** में 01 अक्टूबर 2021 को विश्व के 223 देशों की संसदों में महिलाओं की दोनों सदनों में स्थिति के आधार पर रेंकिंग में भारत 147वें स्थान पर है। इस रेंकिंग के अनुसार भारत में अप्रैल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में 540 में से 78 महिलाऐं (14.4%) तथा राज्य सभा में जून 2020 में 241 में से 27 महिलाऐं (11.2%) हैं। जनवरी, 2017 में विश्व के 277 निचले सदनों और एकल सदनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अनुपात 23.4 प्रतिशत मात्र है। यहाँ तक कि इस रेंकिंग में भारत के पडौसी देशों, यथा– नेपाल (52वाँ), अफगानिस्तान (76वाँ), चीन (87वाँ), बांग्लादेश (112वाँ), पाकिस्तान (115वाँ), भूटान (133वाँ) आदि, में भी महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात 17 से 37 प्रतिशत के बीच में है जो भारत से ज्यादा है। पड़ोसी देशों में सिर्फ श्रीलंका (181वाँ) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारत से कम है।[1]

वैश्विक स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व की स्थिति का अनुमान इस आंकड़े से लगाया जा सकता है कि सन् 1945 से पहले आस्ट्रिया एकमात्र ऐसा देश था जहाँ संसद के किसी सदन की कोई महिला अध्यक्ष रहीं। वहीं सन् 1945 से 1997 के मध्य 186 लोकतान्त्रिक देशों की संसदों में मात्र 42 महिला किसी समय अध्यक्ष रहीं। उसके बाद से वर्तमान तक 192 लोकतान्त्रिक देशों में मात्र 57 महिला अध्यक्ष रही हैं। भारत में भी इसी कालखण्ड में श्रीमती मीराकुमार लोकसभा अध्यक्ष रही हैं जो स्वतंत्र भारत की पहली एवं एकमात्र महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं।

नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु कुल निदर्शन संख्या 100 निर्धारित गई है। शोध अध्ययन हेतु तीन लक्षित समूहों को चयनित किया गया है–

सारणी 2

क्र.सं.	**विवरण**	**विशेष**	**कुल**
1.	महिला जन प्रतिनिधि	वर्तमान पूर्व	19 11
2.	**कुल**		**40**
3.	आमजन	सरकारी कर्मचारी	10

		व्यापारी	10
		जनप्रतिनिधि	10
		राजनीतिक दल	10
		आजाद मित्र	10
		गृहणी	10
कुल :			**60**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में टोंक जिले के विशेष संदर्भ में स्थानीय नगरीय निकाय में महिला जनप्रतिनिधि की सामाजिक पृष्ठभूमि अध्ययन हेतु तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। अतः साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक सूचनाओं को एकत्र कर तथ्यों को सुव्यवस्थित करके उनको सारणीबद्ध कर उनका व्यवस्थित विश्लेषण एवं व्याख्या करने का प्रयास शोधार्थी द्वारा किया गया है।

1महिला जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

1. उत्तरदाता की आयु

सारणी 3

आयुवर्ग(वर्षो में)	उत्तरदाता	प्रतिशत
20–35	08	20
36–45	16	40
46–55	12	30
56–65	04	10
योग	40	100

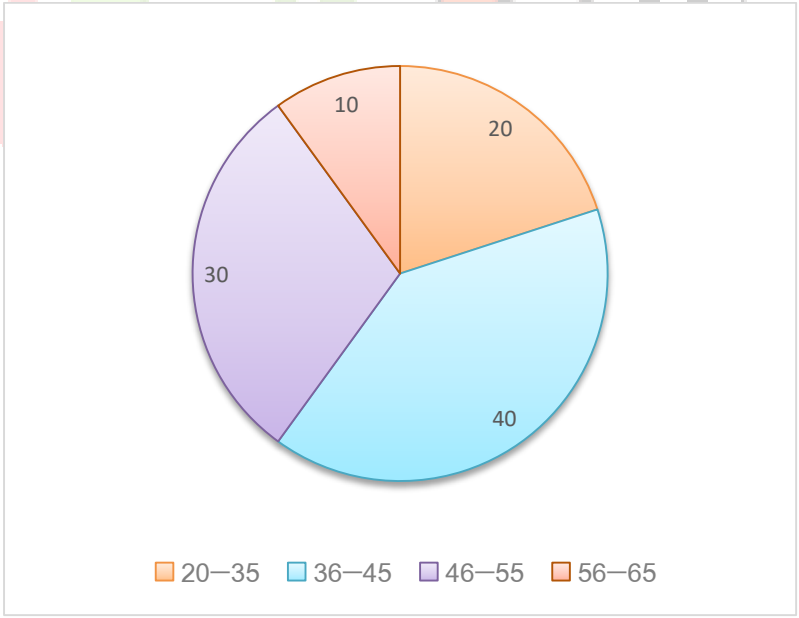

टोंक जिले की नगरपालिकाओं से प्राथमिक आँकड़ा संकलन के लिए चयनित महिला जनप्रतिनिधियों में सभी आयुवर्ग ने प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा गया है। चयनित निर्देश से 20–25 आयुवर्ग के 20, 36–45 आयुवर्ग के 40, 46–55 आयुवर्ग के 30 तथा 56–65 आयुवर्ग के 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार इस अध्ययन

में युवा सोच, आधुनिक विचारधारा के साथ–साथ अनुभवी प्रतिनिधियों से भी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की गई है। इस शोध में मध्यम आयुवर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है, जो नई सोच एवं अनुभव का संतुलन प्रदर्शित करते हैं।

2. उत्तरदाता की सामाजिक स्थिति

सारणी 4

जाति वर्ग	उत्तरदाता	प्रतिशत
सामान्य	24	60
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	08	20
अनुसूचित जाति (एससी)	08	20
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	0	0
योग	**40**	**100**

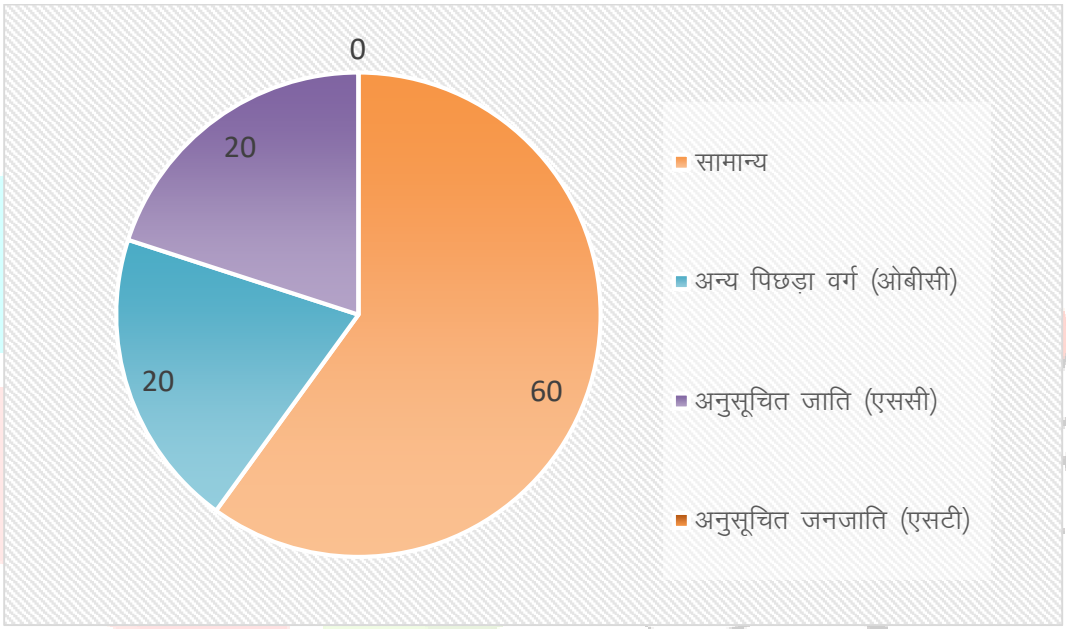

महिला जनप्रतिनिधियों की सामाजिक स्थिति जातिवर्ग के अनुसार सामान्य 60, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 20, अनुसूचित जाति (एससी) 20 प्रतिशत ली गई। निर्देश के चयन में सभी वर्गों की महिला प्रतिनिधियों का निर्वाचन के अनुसार प्रतिनिधित्व निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। इसमें लगभग आधी वर्तमान संख्या तथा अन्य पूर्व निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि है। चूंकि निर्वाचन में वर्गवार स्थानों का आरक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करता है अतः वह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होता है, परन्तु पूर्व अध्याय में वर्णित आंकड़ों के अनुसार आरक्षित वर्ग की महिलाएं सामान्य पदों पर भी निर्वाचित हो रही है।

3. उत्तरदाता की शैक्षिक स्थिति

सारणी 5

शैक्षिक स्थिति	उत्तरदाता	प्रतिशत
साक्षर	08	20
उच्च प्राथमिक तक	12	30
माध्यमिक तक	04	10
उच्च माध्यमिक तक	06	15
स्नातक	04	10
स्नातकोत्तर	04	10
अन्य	02	5
योग	**40**	**100**

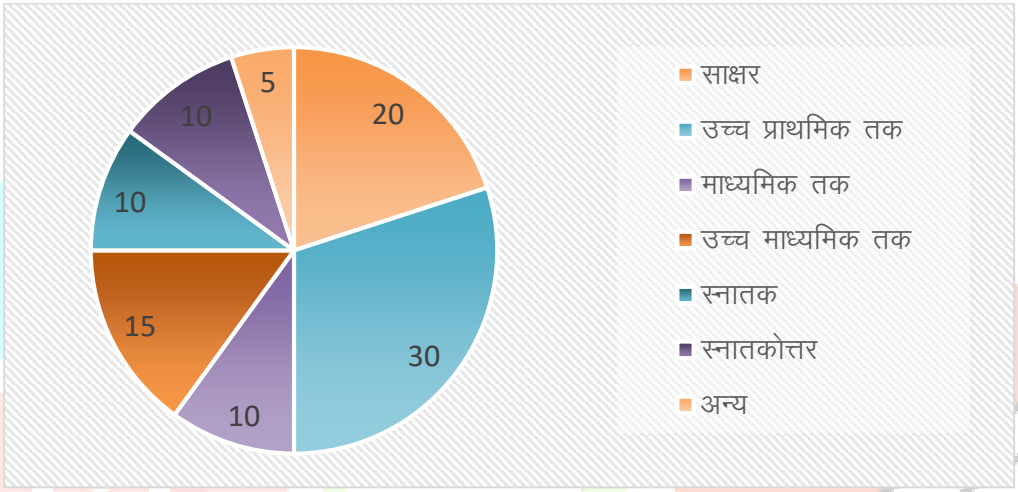

उपर्युक्त सारणी में प्रवर्तित आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों में से आधी सिर्फ उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षित हैं वहीं 20 प्रतिशत सिर्फ साक्षर है। यद्यपि पूर्व अध्याय की सारणी सं. 3.36 तथा 3.39 का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष निकलता है कि सिर्फ साक्षर उम्मीद्वारों तथा कम शिक्षित उम्मीद्वारों के निर्वाचन में कमी आ रही है। सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने के लिए सभी शिक्षा वर्ग की महिला जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया है। यद्यपि शिक्षा नेतृत्व क्षमता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करती है, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षमता को बढ़ाने और अशिक्षा इसे हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. उत्तरदाता की व्यावसायिक स्थिति

सारणी 6

व्यावसायिक स्थिति	उत्तरदाता	प्रतिशत
गृहिणी	24	60
व्यापार	08	20
स्व–रोजगार	04	10
नौकरी	04	10
योग	**40**	**100**

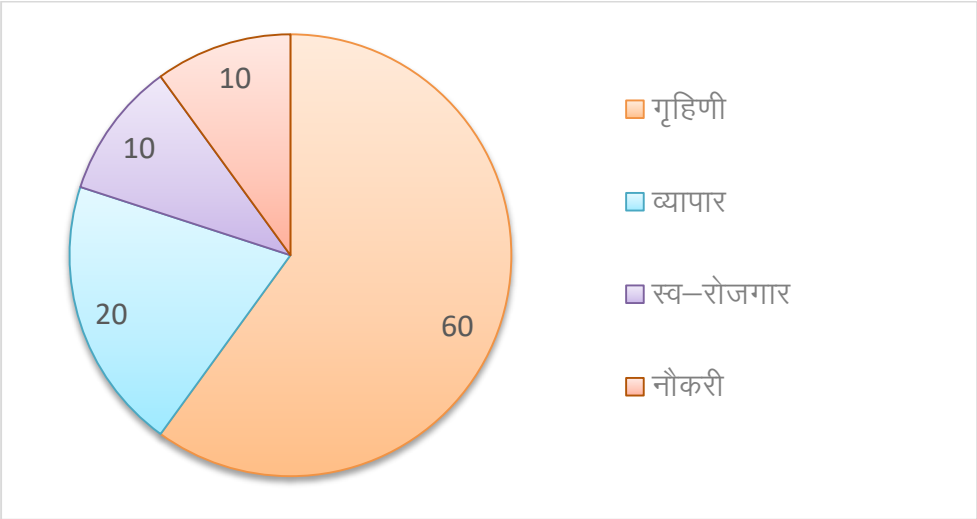

उपर्युक्त सारणी में प्रदर्शित आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचित आधे से अधिक महिला जनप्रतिनिधि जो की शैक्षणिक स्थिति में माध्यमिक तक है गृहिणी है। सामान्यतः यह अवलोकित किया गया है कि ये वह जनप्रतिनिधि हैं जो प्रथमबार निर्वाचित हुई है और इनकी कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं थी तथापि पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक होने के कारण उन्हें टिकिट मिल गया।

व्यापार करने वाली महिलाएँ सामान्यतः अपने पारिवारिक व्यापार में भागीदार है तथा नगण्य संख्या में इसमें सक्रिय भागीदार है। स्व रोजगार में संलग्न महिलाएँ राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पायी गयी हैं।

5. उत्तरदाता की आर्थिक स्थिति

सारणी 7

आर्थिक स्थिति	बीपीएल	बीपीएल से ऊपर	10 प्रतिशत एवं उपर तक टैक्स देने वाले उपभोक्ता	कुल
सामान्य	8	10	6	24
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)	2	3	3	8
अनुसूचित जाति (एससी)	3	4	1	40

आर्थिक स्थिति का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिले के सामान्य वर्ग में 8 बीपीएल, 10 बीपीएल से ऊपर तथा 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा टेक्स देने वाले 6 है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग में 2 बीपीएल, 3 बीपीएल से ऊपर तथा 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा टेक्स देने वाले 3 है। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग में 3 बीपीएल, 4 बीपीएल से ऊपर तथा 10 प्रतिशत या उससे ज्यादा टेक्स देने वाले 1 है।

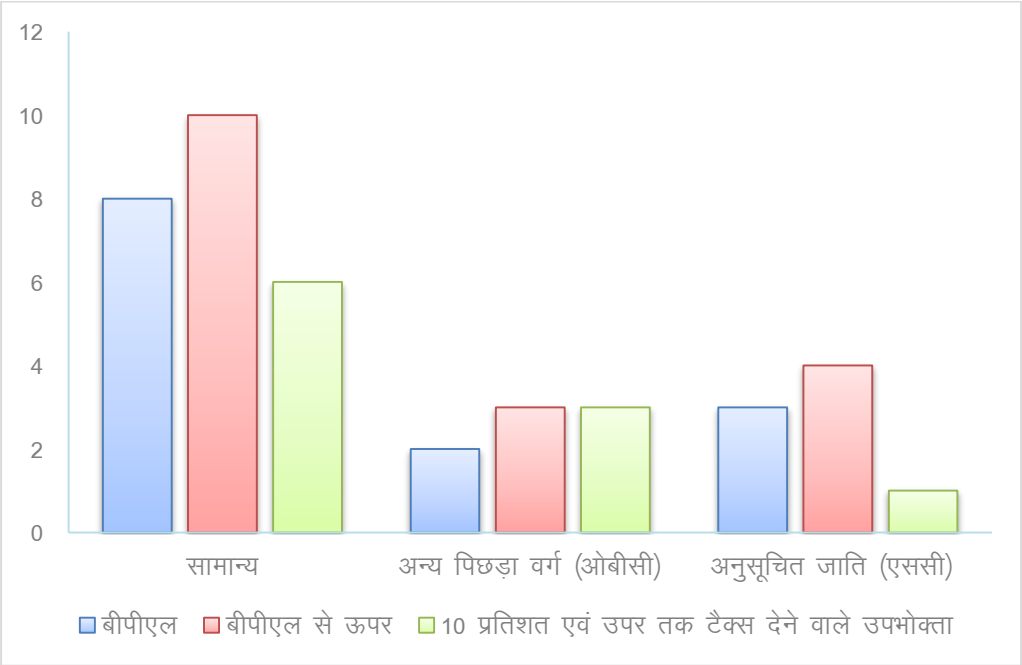

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी

6. क्या आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं?

अ) हाँ 82.5% ब) नहीं 17.5%

7. क्या आपका किसी पार्टी से संबंध है?

सारणी 8

राजनीतिक दल	महिला जनप्रतिनिधि	प्रतिशत
भाजपा	16	40
कांग्रेस	12	30
बसपा	2	5
राकपा	3	7.5
स्वतंत्र	7	72.5
योग	**40**	**100**

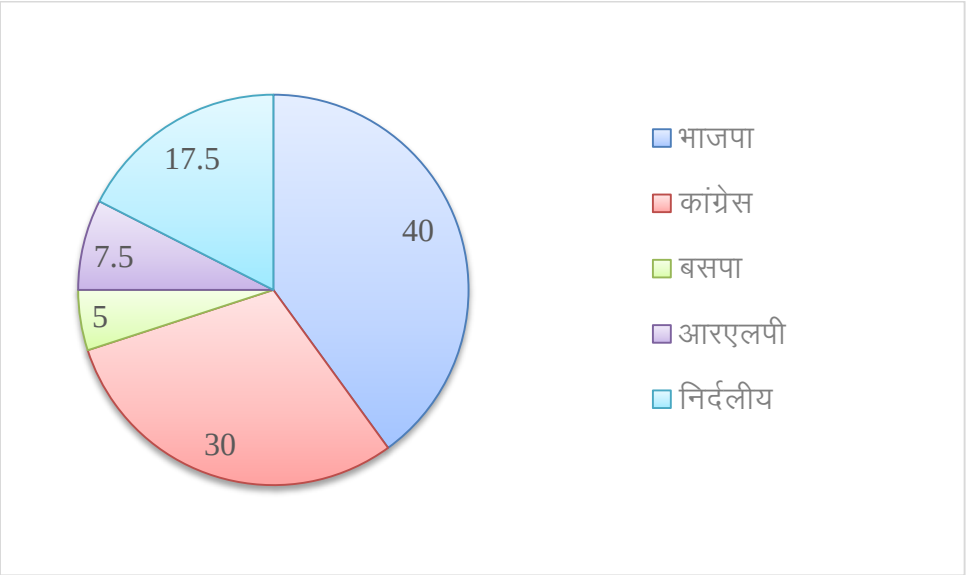

उपर्युक्त आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मात्र 17.5 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि ही किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखती है तथा ये भी वह हैं जो टिकिट ना मिलने के कारण बागी उम्मीद्वार के रूप में चुनाव लड़ी है। यह अवलोकन किया गया है कि स्वतंत्र उम्मीद्वार या तो पूर्व में स्थान आरक्षित होने के कारण पद पर रही थी और वर्तमान में पद अनारक्षित होने पर भी बागी उम्मीद्वार के रूप में निर्वाचित हुई हैं या इस स्थान पर उनके परिजन पूर्व में निर्वाचित हुए थे तथा महिला के लिए स्थान आरक्षित होने पर उन्हें उम्मीद्वार बना दिया गया था। सारणी ..... के अनुसार टोंक जिले में नगरपालिकाओं में निर्वाचित होने वाली महिला जनप्रतिनिधि अधिकांश भाजपा और कांग्रेस से है तथा अन्य दलों की भागीदारी नगण्य है।

निष्कर्ष

राजनीतिक जनप्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी समाज विशेष में शासन की प्रक्रिया को प्रभावित करके ओर इनमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का विधि सम्मत अधिकार रखता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जन आधारित सम्प्रभु शक्ति राजनीतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से ही व्यावहारिकता प्राप्त करती है और इसी शक्ति से युक्त व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन कर निश्चित अवधि तक शासन के संचालक बन जाते हैं।

नगरीय निकायों का आधुनिक स्वरूप ब्रिटिशकाल की देन है और स्वतंत्रता के पश्चात् से ही यह स्वरूप निरन्तर रूप से चला आ रहा है। इसे 74वें संविधान संशोधन के तहत् त्रिस्तरीय नगरपालिका, नगरपरिषद् व नगर निगम का स्वरूप प्रदान कर संवैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान कर दिया गया।

महिला दशक की समाप्ति के बाद तथा 21वीं सदी के प्रारंभ के साथ ही भारत में राजनीतिक जीवन में महिला सहभागिता पर जोर दिया जाने की दिशा में 74वां संविधान एक महत्त्वपूर्ण कदम था जो महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण की धारा से जोड़ने की दिशा में किया गया सराहनीय प्रयास

था। अतः इस संशोधन के अनुपालना में निश्चित प्रावधान किये गये जो राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है। इन नगरीय निकायों में प्राप्त 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होने के पश्चात् महिला जनप्रतिनिधि अपनी नेतृत्व क्षमता के माध्यम से नगरीय विकास में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

शोधार्थी ने अपने शोध प्रबन्ध "स्थानीय नगरीय पालिका में महिला जनप्रतिनिधि नेतृत्व की भूमिका" टोंक जिले के संदर्भ में एक अनुभवमूलक अध्ययन किया गया है। समय एवं साधनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए टोंक जिले के एक नगरनिकाय (टोंक नगरपरिषद् एवं समस्त नगरपालिकाओं) का अध्ययन किया है तथा अपने शोध प्रबन्ध को छः अध्यायों में विभक्त किया है, ताकि उन्हें व्यवस्थित करके अन्य शोधार्थियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकें। अध्याय प्रथम में शोध प्रबन्ध का परिचयात्मक स्वरूप का विवेचन करते हुए शोधार्थी ने शोध साहित्य की समीक्षा की सहायता से अपने शोध की दिशा निर्धारित करने का प्रयास किया है। इसी अध्याय में शोधार्थी ने शोध के साथ प्रयुक्त की जाने वाली शोध

पद्धति के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया है। इस अध्याय में अध्ययन की आवश्यकता और प्रासंगिकता एवं अध्ययन का महत्त्व का स्पष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

सन्दर्भ सूची

1. अग्रवाल गीता, ''चुनाव और महिला सहभागिता'' राज्य शास्त्र समीक्षा मेंलेख राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 2001।
2. अलमण्ड, वर्बा सिडनी, ''द सिविक कल्चर प्रिन्सटॉन'' प्रिन्सटॉन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1963।
3. एन्थोनी एम. ओरम, इन्ट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, प्रैस्टिस हॉल, आई एन सी. एन्जल वुड क्लिक्स न्यू जर्सी, 1978।
4. आल्तेकर ए. एस., दि पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन, मोतीलाल बनारसी दास, नई दिल्ली, 1959।
5. अरूणा आसफ, वूमेन्स सफरेज इन इण्डिया, श्याम कुमारी नेहरू, 2000।
6. अंसारी एम. एन. ''महिला और मानवाधिकार'' ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2000
7. अनिरूद्ध प्रसाद ''आरक्षण सामाजिक न्याय एवं राजनीतिक संतुलन, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991।
8. एस्टर वोसरप, वोमन्स रोल इन इकॉनोमिक डवलपमेन्ट न्यूयार्क, सेन्ट मार्टिन्स, 1970।
9. अप्टे जे. एस., एजूकेशन एण्ड वीमेन्स एम्पॉवरमैन्ट, इण्डियन जर्नल और एडल्ट एजूकेशन, वोल्यूम 56, 3 जुलाई, सितम्बर, 1995।